न्यायालय अपर सिविल जज (सी.डि), सिद्धार्थनगर।

UPSD050003472021

<u>Civil Suit/265/2021</u>

श्रीमती प्रेमकुमारी आदि बनाम राजेश पाण्डेय आदि

<u>लंच बाद</u>

पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार कराई गई। उभय पक्ष अनुपस्थित। वादीगण विगत कई तिथियों से उपस्थित नहीं आ रहा है, न ही उसके अधिवक्ता ही पत्रावली में बल देने के लिए उपस्थित आ रहे हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण अथवा उनके अधिवक्ता विगत कई तिथियों से उपस्थित नहीं आ रहे हैं इस हेतु उन्हें अवसर व अंतिम अवसर दिया जा चुका है। वादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वादीगण अपने वाद पर बल देना नहीं चाहता है, अतः प्रस्तुत सिविल वाद संख्या–265/2021 वादीगण की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रस्तुत सिविल वाद संख्या–265/2021 श्रीमती प्रेमकुमारी आदि बनाम राजेश पाण्डेय आदि उभयपक्ष की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

<u>दिनांक–19.11.2024</u>

(अरूण कुमार चतुर्थ)
अपर सिविल जज(सी.डि.)
सिद्धार्थनगर।